



व्यायालय मानोराजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्र०क० - एक/2017 निगरानी

f 8197- फ-12

का.पा.ना.ध.का.  
16-३-१७

मेघराज, बलवीर, साहव सिंह

पुत्रगण चंदनसिंह लोधी

श्रीमती पुक्खो पत्नि चंदन सिंह लोधी

उत्तरा पुत्री चंदन सिंह लोधी

अभी ग्राम मछावली तडसील करैरा

जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

विरुद्ध

—आवेदकगण

1 - म०प्र० शासन व्याया कलेक्टर शिवपुरी

2 - तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी

—असल अनावेदक

3 - हरको उर्फ हरकुंवर पत्नि सोनपाल

जाति बाढ़ी ग्राम मछावली

तहसील करैरा जिला शिवपुरी

4 - श्रीमती रामसर्ही पुत्री सोनपाल

पत्नि बीरसिंह बाढ़ी ग्राम हिंडोरा

तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र०

—तरतीवी अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,

1959 - अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी व्याया

प्रकरण क्रमांक 107/2016-17 बी 121 में पारित आदेश

दिनांक 10-3-17 के विरुद्ध)

कृ०प०३०---२

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक—निगरानी—897—एक / 2017

जिला—शिवपुरी

मेघराज, बलवीर, साहब सिंह आदि विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के ठस्ताक्षर
25—04—2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री जी.पी. नायक एवं अनावेदक क्र. 1 शासन व शेष अनावेदक की ओर से श्री एस.पी. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला—शिवपुरी के प्र. क्र. 107/2016—17/बी—121 में पारित आदेश दिनांक 10—03—2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 06—06—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(आरोक्त जैन) सदस्य 25/4/19</p>	